तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
5/ 025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 06 बावजूद सम्मन तामील के न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 07 पेरोकार सरकार का जवाब अवसर बंद किया जाता है। वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस करने हेतु निवेदन किया। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस वकुलाय की सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुये होने से वे अतिक्रमण और कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते रहते है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बेडा द्वितीय तहसील बाली के खसरा नंबर 5065/3196 रकबा 4.1200 हैक्टर के चारों ओर बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/- रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगें। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)) सहायक कलेक्टर एवं फर्स्ट सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली

दिनांक : 07/05/25

क्रमांकः कोर्ट/2025/441

अप्रार्थीगण

बनाम

प्रार्थीगण

ममता पेरीवाल पत्नी हेमंत पेरीवाल जाति माहेश्वरी निवासी गिरवा उदयपुर वगैरा

अब्बास अली पुत्र फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बेडा तहसील बाली वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व विविध GCMS NO. 2024/488
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम बेडा द्वितीय पटवारी हलका बेडा द्वितीय तहसील बाली के खसरा संख्या 5065/3196 के सीमा बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000/–प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
(SDO) बाली
सहायक कलेक्टर एवं मजि.
उपखण्ड अधिकारी, बाली 07/05/25

क्रमांकः कोर्ट/2024/441-444
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार बाली
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना नाना
3. हल्का पटवारी बेडा द्वितीय को तहसीलदार बाली द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. ममता पेरीवाल पत्नी हेमंत पेरीवाल जाति माहेश्वरी निवासी गिरवा उदयपुर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी,
(SDO) बाली
सहायक कलेक्टर एवं मजि.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner